(अंग्रेजी माध्यम) प्री प्राईमरी से जूनियर हाईस्कूल तक

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
बलिया।

सेवा में,

प्रबन्धक,
इनक्रेडिबल पब्लिक स्कूल लिलकर, सिकन्दरपुर
शिक्षा क्षेत्र– नवानगर,
बलिया

पत्रांक : 28762-65 /2015–16 दिनांक: 27.01.2016

विषय– **निःशुल्क और बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।**

प्रिय महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0– 442/79–6–2011 दिनांक 19 मई 2011 के अनुपालन में आपके आवेदन पत्र और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से, मैं **इनक्रेडिबल पब्लिक स्कूल लिलकर, सिकन्दर, शिक्षा क्षेत्र– नवानगर,** जनपद– **बलिया** को कक्षा नर्सरी से कक्षा 08 तक हेतु 01 जुलाई 2015 से 30 जून 2018 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए अनन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों को पूरा किये जाने के अधीन है:–

1. मान्यता के लिए स्वीकृति विस्तारणीय नहीं है और यह किसी भी रूप में कक्षा 8 के बाद मान्यता/सम्बन्धन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपबन्ध–1) और उ0प्र0 निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 (उपबन्ध–2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा–1 में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस में बालकों की संख्या के 25 (पच्चीस) प्रतिशत तक आस–पड़ोस के कमजोर वर्गों, और सुविधा विहिन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालाकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तिया प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपीटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रिनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा–15 के उपबन्धों का पालन करेगा।
7. विद्यालय निम्नलिखित बातों को सुनिश्चत करेगा:–
   - प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
   - किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।
   - प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
   - प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 23 के अधीन अभिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण–पत्र दिया जायेगा।
   - अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
   - अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अभिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हतायें नहीं है। पॉच वर्ष के अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताए अर्जित करेंगे।
   - अध्यापकों अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विर्निदिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है।

Principal
218- Incredible Public School
Lilkar Sikanderpur Ballia

MANAGER
Incredible Public School
Lilkar, Sikanderpur
Ballia (U.P.)

- अध्यापक स्वयं को किसी अध्यापन क्रिया कलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

8. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का अनुसरण करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथा विर्निदिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाये रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधायें नियमानुसार है:—
   - विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल—
   - कुल निर्मित क्षेत्र—
   - क्रीड़ा स्थल का क्षेत्रफल—
   - कक्षाओं की संख्या—
   - प्राध्यापक सह कार्यालय— सहभण्डार के लिए कक्ष—
   - बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय—
   - पेयजल—
   - मिड डे मिल पकाने के लिए रसोई—
   - बाधा रहित पहुँच—
   - अध्यापन पाठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपस्कर/पुस्तकालय की उपलब्धता—
10. विद्यालय के परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलायी जायेगी।
11. विद्यालय भवन या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जायेगा।
12. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) में अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
13. स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
14. लेखाओं की सम्परीक्षा (आडिट) और प्रमाणन किसी चार्टड एकाउन्टेन्ट द्वारा किया जाना चाहिए और नियमानुसार समुचित लेखा विवरण तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्रेषित की जानी चाहिए।
15. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता सम्बन्धित कोड संख्यांक 464/2016... है। कृपया इसको ध्यान रखा जाय और इस कार्यालय से किसी भी पत्र व्यवहार के लिए इस संख्यांक को उद्घृत करने का कष्ट करें।
16. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा जो समय—समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हों और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों की निरन्तर पूर्ति के सुनिश्चित करने हेतु विद्यालय की कार्य प्रणालियों को दूर करने के लिए जारी किये जायें।
17. सोसाइटी के नवीनीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाय।
18. विद्यालय, प्रबन्धन/न्यास और कर्मचारी वर्ग समय—समय पर जारी किये गये राज्य सरकार के आदेशों का अनुपालन करेगा।
19. संलग्न उपलब्ध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

भवदीय

(राकेश सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
बलिया

RC Mishra Tripathi
Principal
70218- Incredible Public School
Lilkar Sikandarpur Ballia

Ajay Kumar Mishra
MANAGER
Incredible Public School
Lilkar, Sikandarpur
Ballia (U.P.)

पृ0सं0 व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि— निम्नांकित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) आजमगढ़ मण्डल आजमगढ़।
2. जिला समाज कल्याण अधिकारी, बलिया।
3. खण्ड शिक्षा अधिकारी शिक्षा क्षेत्र नवानगर, बलिया।

(राकेश सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
बलिया

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें